(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

No. F.3 (82)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ 292

Dated: 25/3/49/

Notification No. 11/2019 - State Tax (Rate)

— In exercise of the powers conferred by No. F.3(82)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ section 55 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable state tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017.

Explanation - For the purposes of this notification, the expression "outgoing international tourist" shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019. 2.

> By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> > (Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

No. F.3 (82)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/292

Dated: 75/3/41

Copy forwarded for information to:-

The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.

12. Guard File.

(Manoj Kumar)

Dy. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (ट्यय-IV) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. 3(82) / वित्त(ट्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV /292

दिनांकः 25/3/2/

अधिसचना संख्या 11/2019-राज्य कर (दर)

सं.फा. 3(82) / वित्त(ट्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV /: दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, दिल्ली माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनिधक अविध तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं ।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> 2015/8 NI (मनोज कुमार)

उप सचिव- IV (वित्त)

सं.फा. 3(82) / वित्त(ट्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / २ ९ २

दिनांकः २९५/३/२१/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई रिदल्ली।

√1. वेब साईट।

12. गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)